परिपत्र संख्या-वि0अनु0शा0/कं0परि0सं0-222380 9 /2022-23/ 308 /वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(वि0अनु0शा0 अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 05 मई, 2022

समस्त,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0),

ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/कार्य0/कार्पो0),

डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0/खण्ड),

असिस्टेन्ट कमिश्नर/वा0क0अधि0(वि0अनु0शा0/स0द0/खण्ड)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय: वि0अनु0शा0 एवं सचलदल इकाइयों द्वारा सम्पादित की जाने वाली प्रवर्तन की कार्यवाही के सम्बन्ध में।

प्रदेश में कार्यरत वि0अनु0शा0 एवं सचलदल इकाइयों द्वारा उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (प्रान्तीय अधिनियम) की धारा-67, 68, 129 एवं 130 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्पादन हेतु विभाग द्वारा आनलाईन माड्यूल विकसित किए गए थे जिससे दिनांक 28-02-2022 तक कार्यवाही सम्पादित की जा रही थी। शासन के निर्देश पर दिनांक 01-03-2022 से जी0एस0टी0एन0 द्वारा उपलब्ध कराए गए boweb पोर्टल से प्रवर्तन की आनलाईन कार्यवाही की जा रही है। माह मार्च एवं अप्रैल, 2022 में boweb पोर्टल से कृत कार्यवाही की समीक्षा में यह पाया गया कि वि0अनु0शा0 अथवा सचलदल इकाइयों द्वारा सम्पादित कार्यों की जो एम0आई0एस0 रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो रही थी वह boweb पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है जिससे जोन अथवा मुख्यालय स्तर पर प्रवर्तन के कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण सम्भव नहीं हो पा रहा है। वांछित एम0आई0एस0 रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु जी0एस0टी0एन0 से अनुरोध किया गया है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्व अभिवृद्धि हेतु आई0टी0 टूल्स का अधिकाधिक प्रयोग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में जब तक जी0एस0टी0एन0 द्वारा boweb पोर्टल पर वांछित एम0आई0एस0 रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करा दी जाती हैं तब तक boweb पोर्टल पर कार्यवाही के साथ-साथ वि0अनु0शा0 एवं सचलदल इकाइयों को तत्काल प्रभाव से निम्न निर्देश दिए जाते हैं -

क. वि0अु0शा0 इकाइयों के सम्बन्ध में -

1. विभागीय वेबसाईट पर वि0अनु0शा0 इकाइयों एवं खण्ड कार्यालयों द्वारा एंट्री माड्यूल में INS-01 को छोड़कर अन्य समस्त मेन्यू में प्रविष्टियां पूर्व की भांति की जाएंगी।

2. दिनांक 01-03-2022 के पश्चात प्रान्तीय अधिनियम की धारा-67 के अन्तर्गत सम्पादित तलाशी के ऐसे मामलों जिससे सम्बन्धित प्रविष्टियां वि0अनु0शा0 माड्यूल में नहीं की गई हैं, 01 सप्ताह के अन्दर पूर्ण कर ली जाएं।

ख. सचलदल इकाइयों के सम्बन्ध में -

1. सचलदल इकाइयों में कार्यरत किसी अधिकारी द्वारा माल के परिवहन के दौरान किसी वाहन को अग्रिम कार्यवाही हेतु रोके जाने पर पूर्व की भांति विभागीय सर्वर पर एस0एम0एस0 भेजकर इंटरसेप्शन नम्बर प्राप्त किया जाएगा तथा इसी के आधार पर boweb पोर्टल पर केस आई0डी0 जनरेट करते हुए अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

2. boweb पोर्टल पर वांछित कार्यवाही के साथ-साथ विभागीय पोर्टल पर सचलदल एंट्री मेन्यू में इंटरसेप्शन नम्बर के आधार पर पंजी जनरेट करते हुए Transaction Detail सम्बन्धी प्रविष्टियों के साथ-साथ FORM GST MOV-09 भी जनरेट किया जाएगा जिससे सचलदल इकाइयों द्वारा सम्पादित प्रवर्तन कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा सके।

3. दिनांक 01-03-2022 के पश्चात प्रान्तीय अधिनियम की धारा-68 एवं धारा-129 के अन्तर्गत ऐसे मामलों जिससे सम्बन्धित प्रविष्टियां सचलदल माड्यूल में नहीं की गई हैं, 01 सप्ताह के अन्दर पूर्ण कर ली जाएं।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

5/5/2022

(मिनिस्ती एस.)
कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।